(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्षा की अनियमितता के कारण फसलों का नुकसान

1301. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष वर्षा की अनियमितता के कारण अनेक राज्यों की फसलों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो फसलों को राज्यवार कितना नुकसान पहुंचा है; और

(ग) वर्षा की अनियमितता के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान (जून से सितम्बर, 1992) कम वर्षा के कारण, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खरीफ फसलों, खासकर धान की फसल को कुछ नुकसान हुआ है । इन राज्यों में 1991-92 के मुकाबले में 1992-93 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन इस प्रकार है :—

('000 मीटरी टन)

राज्य	1992-93 (संभावित)	1991-92	1991-92 के मुकाबले 1992-93 के दौरान खरीफ चावल के उत्पादन में भारी गिरावट
बिहार . . .	3100	4317	1217
आंध्र प्रदेश . . .	6276	6956	680
उड़ीसा	4976	6030	1054

(ग) जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल की विफलता की स्थिति में वित्तीय सहायता देने तथा अगले मौसम के लिए उनको ऋण हकदारी को बहाल करने के उद्देश्य से व्यापक फसल बीमा योजना कियान्वित की जा रही है ।

(ii) 3:1 के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य शेयर से प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष का गठन किया गया है । प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की विफलता की स्थिति में राज्य सरकारों को राहत कार्य शुरू करने का कार्य पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है ।